

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्रसो.161/19 ता0रजु. 19.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

प्यारसिंह पुत्र मौदरसिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मल्ला ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपूरा मल्ला के खसरा नम्बर 1315 रकबा 16.80 हैक्ट. किस्म भूमि पारागाह पर सम्बत 2076 में श्री प्यारसिंह 8/मौदरसिंह पुत्र कपूरा मल्ला तह0 बयाना ने 00/16 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1315 रकबा 00/16 हैक्ट. वाके ग्राम कपूरा मल्ला से बेदखल किया जाता है। लगान 00/64 का 50 गुणा पैन्लटी राशि 32k रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्लटी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्लटी वसूली खडी फराल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 15/1/20
 32k
 28
 32

तहसीलदार
 बयाना

न्यायालय न्यायिक कार्यवाही